भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3891

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

आई॰बी॰सी॰ 2016 पर कार्यान्वयन

3891. डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वैच्छिक परिसमापन हेतु प्रारूप विनियमों पर अशोध्यता और दिवालियापन बोर्ड (आई॰बी॰बी॰) ने जन सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अशोध्यता और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई॰बी॰सी॰) का कार्यान्वयन करने के लिए चार कार्य समूहों का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कार्य समूहों ने सरकार को अपनी रिपोर्टें सौंप दी हैं और यदि हां, तो इन समूहों द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रारूप को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): जी, हां। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने स्वैच्छिक परिसमापन हेतु प्रारूप विनियमों पर जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। प्रारूप विनियम आईबीबीआई की वेबसाइट (www.ibbi.gov.in) पर अपलोड किए गए और दिनांक 08.03.2017 तक जनता की टिप्पणियां मांगी गई।
(ख): जी, हां। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 22.07.2016 के आदेश द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की डिजाइन और संगठनात्मक संरचना, दिवाला व्यावसायिकों (आईपी) एवं दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों (आईपीए) से संबंधित नियमों और विनियमों तथा अन्य संबंधित मामलों, संहिता के तहत दिवाला और समापन प्रक्रिया तथा संहिता के अधीन इंफोर्मेशन यूटिलिटी के संबंध में सिफारिशें करने हेतु चार कार्य समूहों का गठन किया। सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

(ग) और (घ): दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, मॉडल उप-विधियों और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के शासी बोर्ड, दिवाला व्यावसायिकों, आईबीबीआई के शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया, आईबीबीआई की सलाहकार समितियों, दिवाला समाधान प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन को छोड़कर कारपोरेट व्यक्तियों के परिसमापन तथा फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्टों के आधार पर नियम और विनियम अधिसूचित किए गए हैं। आईबीबीआई की आंतरिक कार्यप्रणाली हेतु विभिन्न विनियम भी अधिसूचित किए गए हैं। इंफोर्मेशन यूटिलिटी के लिए प्रारूप विनियमों पर जनता के विचार प्राप्त करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

*****